सं.ए.60015/36/2011-प्राशा.

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2011

<u>परिपत्र</u>

इस मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण करते समय, नए अधिकारियों को निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि उनके अधिष्ठापन के एक भाग के रूप में निम्नानुसार विस्तृत ब्योरे के अनुसार उन्हे इस मंत्रालय के विविध खंडों से परिचित कराया जाएगा:-

1. मंत्रालय में सचिव और संयुक्त सचिवों के साथ बैठक (मुख्य)
2. दिल्ली में एअर इंडिया कार्यालय का भ्रमण
3. डीजीसीए का भ्रमण- महानिदेशक और संयुक्त महानिदेशकों और क्षेत्र में डीजीसीए के सुरक्षा विशेषज्ञो के साथ परस्पर बातचीत।
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का भ्रमण - अध्यक्ष और सदस्यों के साथ परस्पर बातचीत।
5. बीसीएएस का भ्रमण - सीओएससीए, संयुक्त सीओएससीए और अतिरिक्त सीओएससीए के साथ बातचीत।
6. ऐरो क्लब ऑफ इंडिया का भ्रमण।
7. एटीसी कंट्रोल टावर और आईजीआई हवाईअड्डे क्षेत्र का भ्रमण - सुरक्षा, चेक-इन काउंटरों, बैगेज प्रबंधन इत्यादि स्थानों का संक्षिप्त अवलोकन।
8. पीएचएचएल का भ्रमण - हेलिकॉप्टर सुरक्षा और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सीएमडी के साथ परस्पर बातचीत।
9. एअर इंडिया, मुंबई में भ्रमण - सीएमडी और अन्य कार्य संबंधी प्रमुखों के साथ परस्पर बातचीत । एअर इंडिया हैंगर्स, ग्राउंड हैंडलिंग।
10. सीसीआरएस, लखनऊ और इग्रुआ, फुरसतगंज का भ्रमण।
11. विमानन प्रबंधन और अनुसंधान के राष्ट्रीय संस्थान का भ्रमण (एनआईएएमएआर)
12. आईजीआई हवाईअड्डे पर संकट प्रबंधन समूह कक्ष का भ्रमण।

2. उपर्युक्त उल्लिखित दौरों, बैठकों और पारस्परिक बातचीत के अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अब तक बनाए गए सभी अधिनियमों और नियमों का पठन भी अधिकारी द्वारा अपेक्षित होगा, 2003 से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त विविध समितियों की रिपोर्ट, एमओसीए/ एअर इंडिया/ भारतीय विमानन प्राधिकरण/ पवन हंस लिमिटेड, हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, पंचवर्षीय योजना की वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट या अन्य कोई महत्वपूर्ण पाठ।

3. अपने अन्य आबंटित दायित्वों का पालन करते हुए, प्राथमिकता के साथ, उपर्युक्त उल्लिखित कार्यक्रम पदभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर सम्पूर्ण हो जाना चाहिए।

4. यह सचिव के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(शुभा ठाकुर)

निदेशक (प्रशासन)

1. मंत्रालय में निदेशक और उसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी (मुख्य)।
2. इस मंत्रालय के अंतर्गत सभी सम्बद्ध /अधीनस्थ कार्यालय/ पीएसयू
3. तथ्य / रिपोर्ट इत्यादि प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि अग्रेषित:-
   - (i) ए अनुभाग - नागर विमानन मंत्रालय द्वारा बनाए गए अधिनियमों और नियमों का सम्पूर्ण संग्रह
   - (ii) डीटी अनुभाग - 2003 से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त विविध समितियों की रिपोर्टें
   - (iii) सी एंड डबल्यू अनुभाग - एमओसीए/ एअर इंडिया/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/ पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें ।
   - (iv) एएआई/ एडी अनुभाग - हवाईअड्डा अवसंरचना नीति।
   - (v) ईआर प्रभाग - पंच वर्षीय योजना की वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट या नागर विमानन से संबंधित अन्य कोई महत्वपूर्ण पठन सामग्री।